संचिका सं० PMU/DOF/2022-3 3444
मत्स्य निदेशालय
नया सचिवालय, विकास भवन, द्वितीय तल, बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
मत्स्य निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. **Brajesh Automobiles Private Limited**, Industrial Growth Centre, Naranga, NH-31, District-Purnea, State-Bihar, Pin- 854303
2. **Gramshree Agree Services Private Limited**, 105, Pusphpanjali Venkatesh Apartment, District- Patna, State- Bihar, Pin-800001
3. **M/S Kali Prasad Kataruka & Sons**, 303A, 3rd Floor, H.P. Chambers, Beside Gopal Complex, Kutechery Road, District- Ranchi, State- Jharkhand, Pin- 834001
4. **Om Herbal Enterprises**, N.H.31, Kaptan Para, Khuskibagh, District- Purnea, State- Bihar, Pin- 854305
5. **Knowteq Concepts Private Limited**, Top Floor, R.K.Plaza, Nala Road, Kadam Kuan, Rajendra Nagar, District- Patna, State- Bihar, Pin- 800006

मत्स्य/पटना, दिनांक 01/09/2025

विषयः– **मात्स्यिकी में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों, उपकरण, उपस्कर इत्यादि के निर्माताओं / आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदात्ताओं को सूचीबद्ध Empanelment, करने के संबंध में।**

प्रसंगः– मत्स्य निदेशालय द्वारा Empanelment हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित अभिरुचिकी अभिव्यक्ति (EOI) पत्रांक–2548 दिनांक–19.06.2025 के आलोक में आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव / आवेदन, दिनांक 28.07.2025 को आयोजित तकनीकी समिति की बैठक ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है कि मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा राज्य के मत्स्य कृषकों / लाभुकों को ससमय सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उपकरणों / उपस्करों के निर्माणकर्ताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं के Empanelment की पहल की गयी है। उक्त के आलोक में मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित अभिरूची की अभिव्यक्ति (EOI) के तहत आपके द्वारा प्रस्ताव के साथ समर्पित दस्तावेजों की जाँच एवं मूल्यांकन के उपरान्त आपकी संस्था / एजेंसी को योग्य पाते हुए सूचीबद्ध (Empanel) करने का निर्णय लिया गया है। इसी संदर्भ में मत्स्य निदेशालय द्वारा आपकी संस्था को निर्माणकर्ता आपूर्तिकर्ता / सेवा प्रदात्ता के रूप में निम्न रूप से सूचीबद्ध (Empanel) करते हुए इसकी विवरणी पशु एवं मत्स्य संसाधन, विभाग के विभागीय Website https://state.bihar.gov.in/ahd/ एवं मत्स्य निदेशालय के पोर्टल https://fisheries.bihar.gov.in/ पर भी प्रदर्शित की गई है:–

प्रकाशित EOI के पश्चात सक्षम प्राधिकार द्वारा चयनित एजेंसी /अभिकरणों /सेवा क्षेत्र के आपुर्तिकर्ता की विवरणी :—

Sr. No.	Name of the Equipment/ Supplier Firm	Category Name & Number	Components of the Category Name & Code
1	Brajesh Automobiles Private Limited	Mobility And Marketing Support & (2)	Three-wheeler vehicle (with ice box) & 2 (vi)
2	Gramshree Agree Services Private Limited	Aqua Inputs / Logistics & (1) Aqua mechanization and technology infusion & (4) Any Other & (6)	Fish seed & 1 (i) Fish feed & 1 (ii) Fish medicines & 1 (iii) Fishing nets (Cast/ Gill/ Drag Net) & 1 (iv) Boats (Wooden/ FRP) & 1 (v) Life jackets & 1 (vi) Probiotics & 1 (vii) Any other inputs & 1 (viii) Soil and water testing/ Fish production/seed producer kit & 4 (i) Tube well & 4 (ii) Solar pump,3 H.P pump incl. solar plate (ISO/BIS/ISI Marka) & 4 (iii) Aerator (1H.P/2H.Pof single/Three Phase) & 4 (iv) Pen culture set up/RFF & 4 (v) Cage culture setup (6x4x4 meter) & 4 (vi) Bio-floc setup (5/7/10/25/50 tanks with water holding capacity of 10 ton/ tank) & 4 (vii) RAS setup & 4 (viii) Ornamental fish culture unit setup (Concrete/ RFF) & 4 (ix) Fish vendors marketing kit/ Matsya shikarmahi kit & 4 (x)
3	M/S Kali Prasad Kataruka & Sons	Aqua Inputs / Logistics & (1) Aqua Mechanization & Technology Infusion & (4)	Fish seed & 1 (i) Fish feed & 1 (ii) Fishing nets (Cast/ Gill/ Drag Net) & 1 (iv) Boats (Wooden/ FRP) & 1 (v) Life jackets & 1 (vi) Aerator (1H.P/2H.Pof single/Three Phase) & 4 (iv) Pen culture set up/RFF & 4 (v) Cage culture setup (6x4x4 meter) & 4 (vi) Bio-floc setup (5/7/10/25/50 tanks with water holding capacity of 10 ton/ tank) & 4 (vii)
4	Om Herbal Enterprises	Aqua Inputs/ Logistics & (1) Aqua mechanization and technology infusion & (4)	Fish seed & 1 (i) Fish feed & 1 (ii) Fish medicines & 1 (iii) Fishing nets (Cast/ Gill/ Drag Net) & 1 (iv) Boats (Wooden/ FRP) & 1 (v) Life jackets & 1 (vi) Probiotics & 1 (vii) Any other inputs & 1 (viii) Soil and water testing/ Fish production/seed producer kit & 4 (i) Tube well & 4 (ii) Solar pump,3 H.P pump incl. solar plate (ISO/BIS/ISI Marka) & 4 (iii) Aerator (1H.P/2H.Pof single/Three Phase) & 4 (iv) Pen culture set up/RFF & 4 (v) Cage culture setup (6x4x4 meter) & 4 (vi) Bio-floc setup (5/7/10/25/50 tanks with water holding capacity of 10 ton/ tank) & 4 (vii) RAS setup & 4 (viii) Ornamental fish culture unit setup (Concrete/ RFF) & 4 (ix) Fish vendors marketing kit/ Matsya shikarmahi kit & 4 (x)

5	Knowteq Concepts Private Limited	Aqua Mechanization and Technology Infusion & (4) Any Other & (6)	Soil and water testing/ Fish production/seed producer kit & 4 (i) Tube well & 4 (ii) Solar pump,3 H.P pump incl. solar plate (ISO/BIS/ISI Marka) & 4 (iii) Aerator (1H.P/2H.Pof single/Three Phase) & 4 (iv) Pen culture set up/RFF & 4 (v) Cage culture setup (6x4x4 meter) & 4 (vi) Bio-floc setup (5/7/10/25/50 tanks with water holding capacity of 10 ton/ tank) & 4 (vii) RAS setup & 4 (viii) Ornamental fish culture unit setup (Concrete/ RFF) & 4 (ix) Fish vendors marketing kit/ Matsya shikarmahi kit & 4 (x) Solar Street Light And CCTV Setup & 6

Dynamic Empanelment से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवर्णित हैं :–

1. Empanelment की अवधि: – निविदा में प्रकाशित शर्तों के अनुरूप Empanelment की कुल अवधि 3 वर्षों की होगी, अर्थात उक्त **5 चयनित संस्था / एजेंसी की वैधता तक 30 सितम्बर 2028** तक होगी।

2. Empanelment से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व शर्त :– यह Empanelment किसी प्रकार का कार्य अधिकार / अनुबंध नहीं है। मत्स्य निदेशालय / मत्स्य कृषक अपनी आवश्यकतानुसार सीधे आपसे संपर्क कर सकते है, ताकि मत्स्य प्रक्षेत्र से जुड़े उपकरण, उपस्कर सेवा इत्यादि उन्हें आपके द्वारा ससमय उपलब्ध कराया जा सके। साथ हीं उल्लेखनीय है कि :–

(क) मत्स्य निदेशालय स्वयं या मत्स्य कृषकों की ओर से सूचीबद्ध एजेंसी के साथ किसी प्रकार के अनुबंध अथवा कार्य के लिये बाध्य नहीं होगा। यह भी आवश्यक नहीं है कि मत्स्य कृषक सूचीबद्ध संस्थाओं के ही सेवा लेंगे।

(ख) लाभुकों एवं सूचीबद्ध संस्थाओं के बीच किसी प्रकार के वित्तीय लेन–देन अथवा भुगतान में विलंब के लिये मत्स्य निदेशालय जिम्मेवार नहीं होगा।

(ग) सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री / उपकरण / उपस्कर की गुणवत्ता की गारंटी मत्स्य निदेशालय द्वारा नहीं दी जायेगी, अपितु यह जिम्मेवारी सूचीबद्ध संस्था की होगी।

3. नाम में परिवर्तन: – अगर किसी कारणवश Empanelment की अवधि में किसी भी सूचीबद्ध संस्था के नाम में कोई परिवर्तन होता है, तो संबंधित संस्था द्वारा मत्स्य निदेशालय को विधिवत सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

4. विभागीय वेबसाईट एवं मत्स्य निदेशालय का पोर्टल :– उक्त वेबसाईट एवं पोर्टल https://fisheries.bihar.gov.in/ & https://state.bihar.gov.in/ahd/ पर सभी सूचीबद्ध संस्थाओं, श्रेणी एवं उत्पाद की विवरणी एवं सूचना उपलब्ध होगी। संस्था, व्यवसाय, उत्पाद, सामग्री एवं दर इत्यादि की पूरी जानकारी वेबसाईट/पोर्टल पर अपलोड की जायेगी एवं सूचीबद्ध संस्था के द्वारा एक सप्ताह के भीतर उक्त सम्पूर्ण विवरणी मत्स्य निदेशालय को उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेवारी होगी।

5. Renewal of Empanelment: – मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा एजेंसी/फर्म/आपूर्तिकर्ता/निर्माता का पैनलीकरण एक गतिशील प्रक्रिया (निरंतर प्रक्रिया) होगी, इसलिए पैनलीकरण हेतु सभी आवेदन पूरे वर्ष केवल वेबसाइट: http://fisheries-bihar-gov-in पर ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

(क) 01 जनवरी से 31 जुलाई के बीच प्राप्त सभी पैनलीकरण आवेदनों की समिति द्वारा अगस्त/सितंबर में जांच की जाएगी और योग्य एजेंसी को सूचीबद्ध करने के बाद उनकी पैनलीकरण 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी।

(ख) 01 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच प्राप्त सभी पैनलीकरण आवेदनों की समिति द्वारा जनवरी/फरवरी में जांच की जाएगी और योग्य एजेंसी को सूचीबद्ध करने के बाद उनकी पैनलीकरण 1 मार्च से प्रभावी होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

(घ) जो एजेंसियां पहले से ही पैनल में शामिल हैं, उन्हें उसी category में नवीनीकरण के लिए संपूर्ण Empanelment Fee का भुगतान करना होगा।

6. Empanelment का निरस्तीकरण: – सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली आपूर्ति और सेवाओं की समीक्षा बैठक प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को या उससे पहले आयोजित की जाएगी और लाभार्थियों तथा जिला मत्स्य अधिकारियों की प्रतिक्रिया के आधार पर, पैनल में शामिल एजेंसी की वैधता का नवीनीकरण या निरस्तीकरण किया जा सकता है। समीक्षा के बाद निरस्तीकरण की स्थिति में, एजेंसी द्वारा दिया गया पैनल शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

कोई भी सूचीबद्ध संस्था, मत्स्य निदेशालय को 30 दिनों की पूर्व सूचना देकर Empanelment सूची से निरस्त (Delist) करने का अनुरोध कर सकती है, परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी कार्य लंबित अथवा बाधित ना हो । मत्स्य निदेशालय द्वारा धोखाधड़ी, खराब गुणवत्ता अथवा सेवा में शिकायत एवं अन्य किसी विधिक गतिविधि के आधार पर संबंधित संस्था को Empanelment की सूची से गैर सूचीबद्ध किया जा सकता है। साथ हीं आवश्यकतानुसार संस्था के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा सकेगी।

7. मध्यस्यता / विवादों का निष्पादन: – सूचीबद्ध संस्था आपूर्तिकर्ता एवं मत्स्य कृषक / क्रेता के बीच हुए किसी प्रकार के अनुबंध अथवा आपसी सहमति के कारण उत्पन्न विवादों का निपटारा मध्यस्यता के माध्यम से किया जायेगा अथवा कार्यक्षेत्र के स्थानीय माननीय न्यायालय में हीं शिकायत दर्ज की जा सकेगी।

अतएव उपरोक्त वर्णित शर्तों के अधीन आपके द्वारा समर्पित अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रस्ताव एवं संलग्न कागजात के जाँच एवं मूल्यांकन के उपरान्त सम्यक विचारोपरान्त आपके संस्था को सूचीबद्ध (Empanel) किया जाता है। उक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
30/08/25

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– PMU/DOF/2022-3 3444 मत्स्य / पटना, दिनांक – 01/09/2025

प्रतिलिपि :– जिला मत्स्य पदाधिकारी, सभी / उप मत्स्य निदेशक, (परिक्षेत्र) सभी /संयुक्त मत्स्य निदेशक, सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/08/25
निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक :– PMU/DOF/2022-3 3444 मत्स्य / पटना, दिनांक – 01/09/2025

प्रतिलिपि :– सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/08/25
निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक :– PMU/DOF/2022-3 3444 मत्स्य / पटना, दिनांक – 01/09/2025

प्रतिलिपि :– डॉ० यशवंत सिंह परियोजना समन्वयक / आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।

30/08/25
निदेशक मत्स्य